राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

–: प्रेस–नोट :–

दिनांक :–09.01.2026

आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली **राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएँ संयुक्त प्रतियोगी (प्रारम्भिक एवं मुख्य) परीक्षा** का पाठ्यक्रम एवं Scheme आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित कर दिया गया है।

पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट https://rpsc.rajasthan.gov.in पर **राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएँ संयुक्त प्रतियोगी (प्रारम्भिक एवं मुख्य) परीक्षा** के नाम से उपलब्ध है।

(आशुतोष गुप्ता)
मुख्य परीक्षा नियंत्रक

WhatsApp channel

Rajasthan Public Service Commission, Ajmer

Scheme of Examination for Rajasthan State and Subordinate Services Combined Competitive (Mains) Examination

Paper-I

Part	No. of Question	Marks Per Question	Total Marks	Word Limit
Unit-I	08	05	40	50
	03	10	30	150
Unit-II	06	05	30	50
	03	10	30	150
Unit-III	14	05	70	50
Total			**200**	

Paper-II

Part	No. of Question	Marks Per Question	Total Marks	Word Limit
Unit-I	7	05	35	50
	3	10	30	150
Unit-II	14	05	70	50
Unit-III	7	05	35	50
	03	10	30	150
Total			**200**	

Paper-III

Part	No. of Question	Marks Per Question	Total Marks	Word Limit
Unit-I	11	05	55	50
	03	10	30	150
Unit-II	06	05	30	50
	03	10	30	150
Unit-III	11	05	55	50
Total			**200**	

Paper-IV

Part	Total Marks
Unit-I	90
Unit-II	70
Unit-III	40
Total	200

Note:- The Scheme of Examination is only for general guidance and information and assistance of candidates. The unit wise distribution of marks and questions may vary.

Ajmer
09-01-2026

Chief Controller of Examination

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी (मुख्य) परीक्षा

—: परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम :—

दिनांक 09.01.2026

(क) मुख्य परीक्षा में प्रविष्ट किये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या, उस वर्ष में परीक्षा के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियों की कुल अनुमानित संख्या का 15 गुणा होगी, किन्तु उक्त रेंज में उन समस्त अभ्यर्थियों को, जिन्होंने वही अंक प्राप्त किये हैं, जैसा आयोग द्वारा किसी निम्नतर रेंज के लिए नियत किया जाये, मुख्य परीक्षा में प्रवेश दिया जायेगा।

(ख) लिखित परीक्षा में निम्नलिखित चार प्रश्न–पत्र होंगे जो वर्णनात्मक/विश्लेषणात्मक होंगे। अभ्यर्थी को नीचे सूचीबद्ध समस्त प्रश्नपत्र देने होंगे जिनमें संक्षिप्त, मध्यम, दीर्घ उत्तर वाले और वर्णनात्मक प्रकार के प्रश्नों वाले प्रश्नपत्र भी होंगे। सामान्य हिन्दी और सामान्य अंग्रेजी का स्तरमान सीनियर सैकेण्डरी स्तर का होगा। प्रत्येक प्रश्न–पत्र के लिए अनुज्ञात समय 3 घण्टे होगा।

प्रश्न पत्र	प्रश्न पत्र विषय	अधिकतम अंक	अवधि
I	**सामान्य अध्ययन– I**	200	**3 घंटे**
II	**सामान्य अध्ययन– II**	200	**3 घंटे**
III	**सामान्य अध्ययन– III**	200	**3 घंटे**
IV	**सामान्य हिन्दी एवं सामान्य अंग्रेजी**	200	**3 घंटे**

प्रश्न पत्र– I
सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन

इकाई I– इतिहास

खण्ड अ– राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परम्परा और धरोहर

- प्रागैतिहासिक संस्कृति, विभिन्न ऐतिहासिक स्थल एवं उनका महत्व : राजस्थान के विभिन्न शासकों की राजनैतिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियां (18वीं शताब्दी तक)
- राजस्व एवं प्रशासनिक व्यवस्था एवं बदलता स्वरूप।
- 19वीं एवं 20वीं शताब्दी – 1857 का विद्रोह, कृषक एवं जनजातीय आंदोलन, राजनैतिक जागरण, जन आंदोलन एवं राजस्थान का एकीकरण।
- कला एवं संस्कृति– प्रदर्शन एवं ललित कला, हस्तशिल्प, स्थापत्य एवं स्मारक, लोक संगीत, लोक नृत्य, लोक कलाएं एवं लोक आख्यान।
- मेले एवं त्यौहार ।
- जनजातियां एवं उनकी परम्पराएं।
- विरासत – राजस्थान की प्रमुख ऐतिहासिक धरोहर एवं प्रमुख पर्यटन स्थल।
- राजस्थानी भाषा एवं प्रमुख साहित्यिक कृतियाँ।
- धार्मिक मान्यताएं, संत एवं लोक देवी–देवता।

खण्ड ब– भारतीय इतिहास एवं संस्कृति

- भारतीय धरोहरः सिन्धु सभ्यता से लेकर ब्रिटिश काल तक की भारत की ललित कलाएँ, प्रदर्शन कलाएँ, वास्तुकला एवं साहित्य।
- प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के धार्मिक आन्दोलन और दर्शन।
- ब्रिटिश नीतियां एवं उनके प्रभाव – देश का राजनैतिक, आर्थिक एवं प्रशासनिक एकीकरण।
- भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन– इसके विभिन्न चरण व धाराएँ, प्रमुख योगदानकर्ता।
- 19वीं तथा 20वीं शताब्दी में सामाजिक– धार्मिक सुधार आन्दोलन एवं बौद्धिक जागरण।
- स्वातंत्र्योत्तर भारत– देशी रियासतों का विलय तथा राज्यों का भाषायी आधार पर पुनर्गठन, विज्ञान एवं तकनीक का विकास, महिला सशक्तिकरण एवं महिला सुधार आंदोलन।

खण्ड स– आधुनिक विश्व का इतिहास (1991 ईस्वी तक)

- पुनर्जागरण व धर्म सुधार।
- अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति एवं रूसी क्रांति।
- जर्मनी में नाजीवाद एवं इटली में फासीवाद।
- विश्व युद्धों का प्रभाव।
- शीत युद्ध के दौरान विश्व।

इकाई II – अर्थव्यवस्था

खण्ड अ– भारत की अर्थव्यवस्था

1. आर्थिक संवृद्धि और विकास– अवधारणा और माप। आय दृष्टिकोण, मानव विकास सूचकांक और अन्य संबंधित सूचकांक। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय क्षरण।
2. कृषिः उत्पादकता और प्रगति। भूमि सुधार। कृषि वित्त तथा विपणन। खाद्य सुरक्षा, खाद्य प्रसंस्करण। मुख्य नीतिगत पहल।
3. औद्योगिक नीति और सुधार। वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण औद्योगिक वित्त। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम –महत्व और नीतिगत पहल ।
4. सेवा क्षेत्र और आधारभूत संरचनाः ऊर्जा, परिवहन और संचार
5. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और भुगतान संतुलन। विदेशी सहायता और निवेश
6. सार्वजनिक वित्त संघीय बजटः आय और व्यय के स्त्रोत, बजट घाटा और सार्वजिनक ऋण भारत के राजकोषीय नीति व सुधार। केन्द्र–राज्य वित्तीय सम्बन्ध और वित्त आयोग।
7. भारतीय रिजर्व बैंक और मौद्रिक प्रबंधन। भारत के बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र के सुधार।
8. सामाजिक क्षेत्रः शिक्षा और स्वास्थ्य। गरीबी और बेरोजगारी। भारत में श्रम की रोजगार योग्यता को बढ़ाने वाली योजनाएं। समाज के कमजोर और उपेक्षित वर्गों के कल्याण की योजनाएं।

खण्ड ब– वैश्विक अर्थव्यवस्था

- वैश्विक आर्थिक मुद्दे : विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की भूमिका।

खण्ड स– राजस्थान की अर्थव्यवस्था

1. राजस्थान के आर्थिक संवृद्धि संकेतक–राज्य घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय और समावेशी संवृद्धि। विकसित राजस्थान 2047। हरित संवृद्धि तथा पर्यावरणीय संधारणीयता। संधारणीय विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में राजस्थान की स्थिति।
2. राज्य बजट– राजकोषीय प्रबंधन और बजट घाटा
3. कृषि विकासः उत्पादन और उत्पादकता। जल संसाधन और सिंचाई। पशुपालन और सहायक गतिविधियां। कृषि विपणन। कृषकों के कल्याण की सरकारी योजनाऐं।
4. ग्रामीण विकास और ग्रामीण आधारभूत संरचना। पंचायतीराज संस्थाऐं और राज्य वित्त आयोग ।
5. औद्योगिक विकास के लिये संस्थागत तन्त्र। निवेश प्रोत्साहन नीति। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों का महत्व और उनके विकास के लिए नीतिगत पहल। राज्य में पेट्रोलियम और तेल संसाधन ।
6. आधारभूत संरचना का विकास – ऊर्जा और परिवहन। सार्वजनिक व निजी सहभागिता परियोजनाएं। बाहरी सहायता से वित्त पोषित राज्य परियोजनाएं
7. मानव संसाधन विकास – स्वास्थ्य और शिक्षा। बेरोजगारी और गरीबी। रोजगार सृजन और गरीबी निवारण योजनाएं।
8. सुशासन और सार्वजनिक सेवाओं को प्रभावी रूप से प्रदान करने के लिए डिजीटल रुपान्तरण
9. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यकों/दिव्यांगजनों, निराश्रितों, महिलाओं, बच्चों और वृद्धजनों के कल्याण के लिये राज्य सरकार की मुख्य योजनाएं।

इकाई III– समाजशास्त्र, प्रबंधन, लेखांकन एवं अंकेक्षण

खण्ड अ– समाजशास्त्र

भारतीय समाज में समाजशास्त्रीय चिंतन :

- जाति एवं वर्ग की अवधारणा, भारतीय समाज में जाति एवं वर्ग के बदलते आयाम।
- समकालीन भारतीय समाज एवं संस्कृति में परिवर्तन : धर्मनिरपेक्षीकरण, शहरीकरण, आधुनिकीकरण और वैश्वीकरण।
- भारतीय सामाजिक व्यवस्था से संबंधित अवधारणाएं : कर्म का सिद्धान्त, धर्म, पुरुषार्थ और आश्रम व्यवस्था।
- वर्तमान भारतीय समाज में परिवार एवं विवाह, वृद्धजनों एवं दिव्यांगजन से संबंधित मुद्दे। भारतीय समाज पर साइबर अपराध और सोशल मीडिया का प्रभाव।
- भारतीय समाज के समक्ष चुनौतियाँ एवं मुद्दे : दहेज, तलाक, भ्रष्टाचार, गरीबी, वेश्यावृत्ति, बेरोजगारी और नशाखोरी।
- भारतीय समाज के कमजोर वर्गों से संबंधित समस्याएँ (मुख्यतः राजस्थान के सम्बन्ध में) : महिलाएँ, सीमांत समूह, दलित, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति और उनके लिए कल्याणकारी योजनाएँ।

खण्ड ब– प्रबंधन

- सामान्य प्रबन्धः प्रबन्धकीय अवधारणा, प्रबन्धकीय कौशल एवं स्तर, प्रबन्ध के कार्य, एमबीओ (MBO), निर्णय प्रक्रिया– तकनीक व मॉडल।
- संगठनात्मक व्यवहारः प्रकृति व क्षेत्र, अनुभूति, अभिप्रेरणा– संकल्पना एवं विचारधाराएं, समूह गत्यात्मकता एव ंदल निर्माण, संगठानात्मक जलवायु एवं संस्कृति।
- विपणन प्रबंधः अवधारणा एवं क्षेत्र, विपणन मिश्रण– उत्पाद, कीमत, संवर्धन, भौतिक वितरण, सेवा एवं डिजिटल विपणन।
- मानव संसाधन प्रबंधः संकल्पना एवं क्षेत्र, मानव संसाधन नियोजन, भर्ती, चयन, पदस्थापन एवं प्रशिक्षण, निष्पादन मूल्यांकन प्रणालियां, मानव संसाधन की आधुनिक प्रवृत्तियां।
- रणनीति प्रबंधनः संकल्पना एवं क्षेत्र, व्यावसायिक वातावरण व स्वॉट (SWOT) विश्लेषण, रणनीति निरूपण एवं क्रियान्वयन, रणनीति नियन्त्रण एवं मूल्यांकन

खण्ड स– लेखांकन एवं अंकेक्षण

- लेखांकन का सैद्धान्तिक आधारः सामान्यतः मान्य लेखा सिद्धांत (GAAPs) एवं आधारभूत लेखांकन अवधारणाएँ
- लेखांकन मानकः लेखांकन मानकों का आधारभूत ज्ञान
- कम्पनी के वित्तीय विवरण; वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की तकनीकें; रोकड़ प्रवाह विवरण;सामाजिक लेखांकन एवं उत्तरदायित्व लेखांकन का आधारभूत ज्ञान।
- कम्प्यूटरीकृत लेखांकनः विशेषताएँ एवं सॉफ्टवेयर पैकेज।
- वस्तु एवं सेवा कर का आधारभूत ज्ञान।
- अंकेक्षण का अर्थ तथा उद्देश्य, अंकेक्षण कार्यक्रम, सामाजिक, निष्पादन एवं दक्षता अंकेक्षण का आधारभूत ज्ञान, सरकारी अंकेक्षण का प्रारम्भिक ज्ञान।

प्रश्न पत्र– II
सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन

इकाई I– प्रशासकीय नीतिशास्त्र

- नीतिशास्त्र एवं मानवीय मूल्य– महापुरूषों, समाज सुधारकों तथा प्रशासकों के जीवन से प्राप्त शिक्षा। परिवार, सामाजिक एवं शैक्षणिक संस्थाओं का मानवीय मूल्यों को विकसित करने में योगदान।
- नैतिक संप्रत्यय– ऋत एवं ऋण। कर्मवाद से प्रेरण, कर्त्तव्य की अवधारणा, शुभ एवं सद्‌गुण की अवधारणा ।
- निजी एवं सार्वजनिक संबंधों में नीतिशास्त्र की भूमिका, सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता और असंलिप्तता का दार्शनिक आधार। उदार समाजः पारदर्शिता, मीडिया और नौकरशाही।
- भगवद् गीता का नीतिशास्त्र एवं प्रशासन में इसकी भूमिका।
- गांधी का नीतिशास्त्र।
- भारतीय एवं विश्व के नैतिक चिंतकों एवं दार्शनिकों का योगदान।
- प्रशासन में नैतिक चिन्ता, द्वन्द एवं चुनौतियां, प्रशासनिक निर्णय में कृत्रिम बौद्धिकता बनाम अंतर्विवेक।
- नैतिक निर्णय–प्रक्रियाः सामाजिक न्याय, मानवीय चिन्ता, शासन में जवाबदेही उपकरण परक बौद्धिकता बनाम मूल्य परक बौद्धिकता।
- उपरोक्त विषयों पर आधारित अ–तथ्यपरक केस अध्ययन।

इकाई II – सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

- दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान; परमाणु संरचना; धातु, अधातु एवं उपधातु, धातुकर्म सिद्धांत और विधियाँ, महत्वपूर्ण अयस्क और मिश्र धातु; अम्ल, क्षार और लवण, pH और बफर की अवधारणा; महत्वपूर्ण औषधियां (संश्लेषित और प्राकृतिक), एंटीऑक्सिडेंट, परिरक्षक, कीटनाशी, पीड़कनाशी, कवकनाशी, शाकनाशी, उर्वरक, योजक और मधुरक; कार्बन एवं इसके यौगिक तथा उनके घरेलू एवं औद्योगिक अनुप्रयोग; ईंधन; ऑक्टेन रेटिंग; रेडियोधर्मिता–अवधारणाएं और अनुप्रयोग; हरित रसायन एवं उसके अनुप्रयोग।
- दैनिक जीवन में भौतिकी; गति, कार्य, शक्ति एवं उर्जा; गुरूत्वाकर्षण; प्रकाश एवं उसके गुण; ऊष्मा; स्थैतिक एवं धारा वैद्युतिकी; चुंबकत्व, वैद्युत चुंबकत्व; ध्वनि तथा विद्युत चुंबकीय तरंगें; चिकित्सीय निदान में भौतिकी के अनुप्रयोग; नाभिकीय विखंडन और संलयन; विकिरण सुरक्षा।
- कोशिका; पादप भाग– उनके कार्य एवं उपयोग; पादप पोषण एवं वृद्धि नियामक– कृषि एवं बागवानी के विशेष संदर्भ में; पौधों में लैंगिक एवं अलैंगिक प्रजनन। मानव शरीर क्रिया विज्ञान की मूलभूत अवधारणाऐं– पाचन, श्वसन, परिसंचरण, उत्सर्जन, प्रजनन, तंत्रिका तंत्र। आहार एवं पोषण; प्रतिरक्षा; रोग; जन स्वास्थ्य हेतु पहल; लाभकारी एवं हानिकारक सूक्ष्मजीव; किण्वन तकनीकी; जैवप्रौद्योगिकी एवं आनुवंशिक–इंजीनियरिंग–बुनियादी अवधारणाएँ और उनके अनुप्रयोग; आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों (GMOs)के नैतिक, कानूनी और सामाजिक मुद्दे (ELSI); नूतन प्रगतियाँ– टीके, CRISPR, mRNA तकनीक, कृत्रिम अंग।
- आधारभूत कंप्यूटर विज्ञान; नेटवर्किंग; एनालॉग और डिजिटल दूरसंचार; आवृत्ति स्पेक्ट्रम; मोबाईल टेलीफोनी;, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में नूतन विकास– आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन

लर्निंग; बिग डेटा; क्लाउड एवं ऐज कंप्यूटिंग; इंटरनेट ऑफ थिंग्स; ब्लॉकचैन और डिजीटल करेंसी; वर्चुअल और ऑगमेंटेड रिएलिटी; ओटीटी प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया।

- भारतीय वैज्ञानिकों का विज्ञान और प्रौद्योगिकी में योगदान; मुख्य भारतीय वैज्ञानिक संस्थान; वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति– रोबोटिक्स, नैनो प्रौद्योगिकी, क्वांटम कंप्यूटिंग आदि; भारत और राजस्थान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास; विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित सरकार की नीतियाँ ; डिजीटल इण्डिया पहल; साईबर सुरक्षा एवं डेटा गोपनीयता।
- अंतरिक्ष एवं रक्षा प्रौद्योगिकी– भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम; उपग्रह एवं उनके अनुप्रयोग; विभिन्न प्रक्षेपण यान; सुदूर संवेदन(रिमोट सेंसिंग); रक्षा अनुसंधान एवं स्वदेशी प्रौद्योगिकियाँ; भारतीय मिसाइल कार्यक्रम; ड्रोन तकनीक; रासायनिक और जैविक हथियार।

इकाई III– पृथ्वी विज्ञान (भूगोल एवं भू–विज्ञान)

खण्ड अ–विश्व

- पृथ्वी की आन्तरिक संरचना एवं भूवैज्ञानिक समय सारिणी।
- प्रमुख भौतिक भू–आकृतियाँ : पर्वत, पठार, मैदान, मरूस्थलः प्रकार तथा वितरण
- भूकंप एवं ज्वालामुखी : प्रकार, वितरण एवं उनका प्रभाव।
- जलवायु – सूर्याभिताप, वायुमण्डलीय परिसंचरण, आर्द्रता तथा वर्षण
- प्रमुख पर्यावरण संबंधी मुद्दे।

खण्ड ब–भारत

- भारत का भू–आकृतिक विभाजन।
- अपवाह प्रतिरूप तथा प्रमुख नदियाँ।
- जलवायु : मानसून, जलवायु विशेषताएं, वर्षा का वितरण एवं जलवायु प्रदेश।
- प्राकृतिक संसाधन : प्रकार एवं उपयोग; जल, प्राकृतिक वनस्पति, मृदा, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन
- जनसंख्या : वृद्धि, वितरण, घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता, नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या।

खण्ड स–राजस्थान

- भौतिक विभाग
- प्रमुख नदियाँ एवं झीलें।
- जलवायु विशेषताएं एवं उनका वर्गीकरण।
- प्राकृतिक वनस्पति, वन्यजीव तथा जैव विविधता।
- मृदा संसाधन
- कृषि– प्रमुख फसलें : उत्पादन व वितरण।
- खनिज संसाधन : प्रकार, वितरण एवं उनका औद्योगिक उपयोग।
- जनसांख्यिकी विशेषताएं
- जनजातियाँ।
- यूनेस्को की भू–पार्क एवं भू–धरोहर स्थल संकल्पना : राजस्थान में संभावनाएं।
- पर्यटन

प्रश्न पत्र III
सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन

इकाई I– भारतीय राज व्यवस्था, शासन, भारत एवं अन्तर्राष्ट्रीय मामले और समसायिक मामले

भारतीय के संविधान की उत्पत्ति, संरचना और प्रमुख सिद्धांत

- संविधान सभा, प्रभाव स्त्रोत, दार्शनिक आधार, मौलिक अधिकार, राज्य की नीति के निदेशक तत्व तथा मौलिक कर्तव्य
- आधारभूत लक्षण सिद्धांत, संशोधन प्रक्रिया और प्रमुख संवैधानिक परिवर्तन
- नवीन संवैधानिक विकास एवं न्यायिक निर्णय, संवैधानिक नैतिकता और रूपांतरकारी संवैधानिकता

संस्थागत रूपरेखा एवं शासन तंत्र

- राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और संसद
- भारत में संघवाद की उभरती प्रवृत्तियाँ
- उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक सक्रियता, आभासी न्यायालय, ई–कोर्ट्स और ई–समिति

भारतीय राजनीति की गत्यात्मकता

- भारत के लोकतंत्र में दलीय प्रणाली के विकास द्वारा चिह्नित समकालीन बदलाव, उभरता क्षेत्रवाद और गठबंधन पुनर्संयोजन
- पहचान–आधारित राजनीति से मुद्दा केन्द्रित एवं समावेशी राजनीति की ओर परिवर्तन, साथ ही लैंगिक भागीदारी में वृद्धि, कृत्रिम बुद्धिमता–सक्षम राजनीतिक लामबंदी के सामाजिक–राजनीतिक निहितार्थ
- मतदान व्यवहार, निर्वाचन सुधार और भारत की निर्वाचन प्रक्रिया की कार्यप्रणाली
- भारतीय राजनीति में विकसित समकालीन प्रतिमान
- आंतरिक सुरक्षाः खतरे, सुरक्षा बलों एवं एजेंसियों का अधिदेश और भूमिका, तथा आंतरिक सुरक्षा प्रबंधन की चुनौतियाँ

राजस्थान में राज्य राजनीति और शासन

- राजनीतिक सहभागिता के प्रतिमान, नेतृत्व एवं मतदान व्यवहार
- राज्य में राजनीतिक दलों की भूमिका और गठबंधन की राजनीति
- पंचायती राज एवं नगरीय स्थानीय स्वशासन–संरचना, मुद्दे और चुनौतियाँ
- राजस्थान की राजनीति में नवीन आयाम और चुनौतियाँ
- राजस्थान में सार्वजनिक नीति का रूपांकनः संस्थाएँ, प्रक्रियाएँ, हितधारक और कार्यान्वयन संबंधी बाधाएँ
- प्रमुख ई–शासन उपक्रमः उपलब्धियाँ और चुनौतियाँ

भारत और अंतरराष्ट्रीय मामले

- शीत युद्ध के बाद के परिवर्तन, अमेरिका का प्राधान्य, बहुध्रुवीयता, वैश्विक राजनीतिक अर्थव्यवस्था, अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद
- भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्व एवं विशेषताएँ, प्रमुख वैश्विक शक्तियों एवं पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध, प्रवासी भारतीय समुदाय और सांस्कृतिक कूटनीति
- क्षेत्रीय और वैश्विक मंचों पर भारत की भूमिका– UN, WTO, EU, ASEAN, BRICS, G-20, QUAD, I2U2, AUKUS, DAKSHIN
- जलवायु एवं हरित कूटनीति में भारत का नेतृत्व (COP शिखर सम्मेलन, ISA, Mission LiFE)
- भारत की विदेश नीति में समकालीन रणनीतिक उपक्रम

समसामयिक मामले एवं मुद्दे :–

- महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएँ, मुद्दे और प्रमुख हस्तियाँ
- राजस्थान की प्रमुख जन कल्याणकारी योजनाएँ और सरकारी पहल
- पुरस्कार, प्रमुख साहित्यिक योगदान, तथा विज्ञान, प्रौद्योगिकी और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) में महत्वपूर्ण प्रगति
- भारत और राजस्थान की खेल नीतियाँ, प्रमुख संस्थान, तथा महत्वपूर्ण खेल आयोजन और उपलब्धियाँ
- स्वास्थ्य, आरोग्यता और तनाव प्रबंधन में योग की भूमिका

इकाई ।।– लोक प्रशासन की अवधारणाएँ, मुद्‌दे एवं गत्यात्मकता

- **लोक प्रशासनः विचारधाराएँ एवं सिद्धांत**

  लोक प्रशासनः– अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र एवं महत्व, लोक प्रशासन का एक अनुशासन के रूप में उद्‌भव, विकासशील एवं विकसित समाजों में इसकी भूमिका, नव लोक प्रशासन, नव लोक प्रबन्ध, सुशासन, नव लोक सेवा।

  विचारधाराएँ एवं उपागमः– वैज्ञानिक प्रबंध, मानव संबंध, व्यवहारवादी, संरचनात्मक–प्रकार्यात्मक, पारिस्थितिकीय उपागम।

  संगठन के सिद्धांतः– पदसोपान, आदेश की एकता, नियंत्रण का क्षेत्र, प्रत्यायोजन, केन्द्रीकरण एवं विकेन्द्रीकरण, समन्वय, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व, जवाबदेही।

  प्रशासनिक व्यवहार– नेतृत्व, संचार, मनोबल।

- **संघ सरकार एवं प्रशासनिक संस्थाएँ**

  प्रशासनिक संस्थाएँः– संघ लोक सेवा आयोग, भारत निर्वाचन आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वित्त आयोग, लोकपाल, नीति आयोग।

  कार्मिक प्रशासनः– भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति, सिविल सेवाओं में तटस्थता और अनामता, आचरण संहिता।

  प्रशासन के मुद्‌देः– संघ–राज्य सम्बन्ध, मंत्री– लोक सेवक सम्बन्ध, सामान्यज्ञ–विशेषज्ञ, प्रशासनिक सुधार, सामाजिक अंकेक्षण।

  प्रशासन पर नियंत्रणः विधायी, कार्यकारी और न्यायिक

- **तुलनात्मक लोक प्रशासन**

  यू.एस.ए., यू.के, फ्रांस और चीन के प्रशासनिक तंत्र की विशेषताएँ।

- **राज्य एवं जिला प्रशासन**

  राज्य प्रशासनः– राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद्, राज्य सचिवालय, मुख्य सचिव, निदेशालयों की भूमिका, पुलिस प्रशासन, राजस्व मंडल, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त।

  जिला प्रशासनः– जिलाधीश, कानून और व्यवस्था प्रशासन, राजस्व प्रशासन, विकास प्रशासन।

ईकाई ।।।– व्यवहार एवं विधि

खण्ड अ– व्यवहार

- **बुद्धिः** संज्ञानात्मक बुद्धि, सामाजिक एवं भावनात्मक बुद्धि, सांस्कृतिक बुद्धि, प्रशंसात्मक बुद्धि और आध्यात्मिक बुद्धि; कार्यस्थल पर उनका महत्व और उनका समावेश (अर्न्तविनिष्टि)।
- **नेतृत्व प्रोफाइलः** सिद्धांत, प्रकार और शैलियाँ; कार्यस्थल पर उनकी चुनौतियाँ और प्रभावशीलता; भविष्य के नेता; उनके अवसर और चुनौतियाँ।
- **कार्यस्थल पर संचारः** संचार के मॉडल और नेटवर्क और उनकी प्रभावशीलता; संचार की बाधाएँ और विकृतियाँ; इलेक्ट्रॉनिक तथा विनाशकारी संचार –साइबरस्लैकिंग, साइबरलोफिंग, मूनलाइटिंग आदि।
- **कार्यस्थल पर उत्कर्ष–** गुण और शक्तियाँ, RAISEC मॉडल और व्यक्ति–अनुकूल–वातावरण।
- **कार्यस्थल पर बर्नआउट, तनाव और उससे निपटानः** व्यावसायिक तनाव; स्रोत और उससे निपटने की शैलियाँ; व्यक्तित्व और तनाव; कार्यस्थल पर लैंगिक मुद्दे।

WhatsApp channel

<u>खण्ड ब– विधि</u>

- **समकालीन विधिक मुद्दे–**
  - **सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005**
    धारा 1–20
  - **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000**
    धारा 1
    धारा 2–परिभाषाएँः संचार उपकरण, कम्प्यूटर, कम्प्यूटर तंत्र, कम्प्यूटर साधन, कम्प्यूटर प्रणाली, साइबर कैफे, साइबर सुरक्षा, डाटा, अंकीय चिन्ह्, इलैक्ट्रॉनिक अभिलेख, इलैक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर, सूचना, प्राइवेट कुंजी, लोक कुंजी
    धारा 65, 66, 66(B-F), 67, 67 (A-C), 71-78
- **बौद्धिक सम्पदा अधिकार–** संकल्पना, प्रकार एवं प्रयोजन
- **स्त्रियों एवं बालकों के विरूद्ध अपराध–**
  - **घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005ः**
    धाराएँ 1–29, 31
  - **महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013ः**
    धाराएँ 1–9, 11–20
  - **लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012ः**
    धाराएँ 1–15
- **माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिक का भरण–पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007ः**
  धाराएँ 1–25
- **राजस्थान में महत्वपूर्ण भूमि विधियां–**
  - **राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955ः**
    धारा 1
    धारा 5– परिभाषाएँ : कृषि वर्ष, कृषि, कृषक, सहायक कलेक्टर, बोर्ड, कलेक्टर, आयुक्त, फसल, ग्रोवधारक, ग्रोवभूमि, होल्डिंग, इजारा या ठेका, सुधार, भूमि, स्वयं काश्त भूमि, भूमिधारी, भूमिविहीन व्यक्ति, अधिवासित भूमि, चारागाह भूमि, रेन्ट, राजस्व, राजस्व अपीलीय प्राधिकारी, राजस्व न्यायालय, राजस्व अधिकारी, सायर, बन्दोबस्त, उपखण्ड अधिकारी, उप किरायेदार, तहसीलदार, किरायेदार, अतिचारी, नालबट
    धाराएँ 14-17A, 31 -37, 38-54A, 206-232, 239-242
  - **राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956**
    धारा–1
    धारा–2
    धारा–3 निर्वचनः भूअभिलेख अधिकारी, नगरपालिका, नजुल भूमि, पंचायत सर्किल, राजस्व अपील प्राधिकारी, बन्दोबस्त प्राधिकारी, गांव।
    धाराएं– 4-36, 40A, 74-87, 106-137, 142-183

- **भारतीय न्याय संहिता, 2023**

  धारा–1

  धारा–2 परिभाषाएँः बालक, न्यायालय, दस्तावेज, लिंग, सदभावपूर्वक, सरकार, न्यायाधीश, व्यक्ति, लोक, लोकसेवक, मूल्यवान प्रतिभूति

  धाराएं 189–191, 194–197, 270, 294–296

- **भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023**

  धारा–1

  धारा–2 परिभाषाएँ : श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधन, जमानत, जमानतीय एवं अजमानतीय अपराध, जमानत पत्र, बन्ध पत्र, आरोप, संज्ञेय अपराध, परिवाद, इलेक्ट्रॉनिक संसूचना, जांच, अन्वेषण, असंज्ञेय अपराध, उपखण्ड, समन मामला, वारण्ट मामला।

  धाराएँ– 3 (2) (क), (ख), 14–17, 41–43, 126–129, 148, 149, 152, 163–167, 173, 174, 187, 194–196

Paper – IV
General Hindi and General English

इकाई । सामान्य हिन्दी

सामान्य हिन्दीः कुल अंक 90, इस प्रश्न पत्र का उद्देश्य अभ्यर्थी की भाषा–विषयक क्षमता तथा उसके विचारों की सही, स्पष्ट एवं प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति की परख करना है।

भाग अ– (अंक 30)

- उपसर्ग एवं प्रत्यय – शब्दों में से उपसर्ग एवं प्रत्यय पृथक् करना
- समश्रुत भिन्नार्थक शब्द का वाक्यों में प्रयोग द्वारा अर्थ स्पष्ट करना
- शब्द शुद्धि
- वाक्य शुद्धि
- मुहावरे– मुहावरों का प्रयोग से अर्थ स्पष्ट
- कहावत/लोकोक्ति प्रयोग से अर्थ स्पष्ट
- पारिभाषिक शब्दावली– प्रशासन से संबंधित अंग्रेजी शब्दों के समानार्थ हिन्दी पारिभाषिक शब्द

भाग ब– (अंक 30)

- संक्षिप्तीकरण – गद्यावतरण का लगभग एक–तिहाई शब्दों में संक्षिप्तीकरण (गद्यावतरण की शब्द सीमा लगभग 150 शब्द)
- पल्लवन – किसी सूक्ति, काव्य पंक्ति, प्रसिद्ध कथन आदि का भाव विस्तार (शब्द सीमा–लगभग 100 शब्द)
- अनुवाद – दिए हुए अंग्रेजी अनुच्छेद का हिंदी में अनुवाद। (शब्द सीमा–लगभग 50 शब्द)

भाग स– (अंक 30)

- पत्र–लेखन – सामान्य कार्यालयी पत्र, कार्यालय आदेश, अर्द्धशासकीय पत्र,अनुस्मारक, प्रतिवेदन (रिपोर्ट)
- प्रारूप–लेखन– अधिसूचना, निविदा सूचना, परिपत्र, प्रेस विज्ञप्ति, कार्यालय ज्ञापन

इकाई ।। General English (Total marks 70)
Part A- Grammar & Usage (20 Marks)
• Preposition • The same word used as different part of speech • Phrasal Verbs & Idioms (application) • One Word Substitute (application) • Words often Confused or Misused (application)
Part B- Comprehension, Translation & Precis Writing (30 Marks)
• Comprehension of an Unseen Passage (300 Words approximately) 05 Questions based on the passage and Precis Writing (of the same passage) approximately 100 words. • Translation of five sentences from Hindi to English.
Part C- Composition & Letter Writing (20 Marks)
• Elaboration of a given theme (Any 1 out of 3, approximately 150 words). • Writing: Official Letter/Demi-Official/ Official Memorandum/Report Writing (approximately 150 words).

इकाई ।।। - निबंध (कुल अंक 40)
प्रश्न पत्र के निबंध भाग में छः विषयगत क्षेत्र होंगे। अभ्यर्थियों को लगभग 600 शब्दों का एक निबंध हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा में लिखना होगा। निबंध के विषय निम्नलिखित छः विषयों पर आधारित होंगे– 1. भाषा, साहित्य और सांस्कृतिक विरासत 2. समाज, शासन और सार्वजनिक मामले 3. विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और सतत विकास 4. अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग और वाणिज्य 5. समसामयिक घटनाएँ, आपदाएँ और राष्ट्रीय विकास पहल 6. राजस्थान के संदर्भ में पर्यटन, संस्कृति तथा समसामयिक मुद्दे अभ्यर्थियों को इन विषयगत क्षेत्रों से सम्बंधित किसी एक विषय पर निबंध लेखन करना होगा। अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वे निर्दिष्ट विषय से पूर्णतः संबंधित रहें, अपने विचारों को सुसंगत तरीके से व्यवस्थित करें और सटीकता और संक्षिप्तता के साथ प्रस्तुत करें। विचारों की स्पष्टता, संरचना की सुसंगतता और अभिव्यक्ति की प्रभावशीलता के आधार पर अंक प्रदान किए जाएंगे।

अजमेर **मुख्य परीक्षा नियंत्रक**

दिनांक 09.01.2026

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएँ संयुक्त प्रतियोगी (प्रारम्भिक) परीक्षा

—:परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रमः—
दिनांक 09.01.2026

प्रारम्भिक परीक्षा में नीचे विनिर्दिष्ट विषय पर एक प्रश्न–पत्र होगा, जो वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा और अधिकतम 200 अंको का होगा।

परीक्षा का उद्देश्य केवल स्क्रीनिंग परीक्षण करना है। प्रश्नपत्र का स्तरमान स्नातक डिग्री स्तर का होगा। ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा, जो मुख्य परीक्षा में प्रवेश के लिए अर्हित घोषित किये गये हो, प्रारम्भिक परीक्षा में प्राप्त अंको को उनका अंतिम योग्यता क्रम अवधारित करने के लिए संगणित नहीं किया जायेगा।

विषय	अधिकतम अंक	समय
सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान	200	तीन घण्टे

नोटः—
1. प्रश्न पत्र में बहुविकल्पीय प्रकार के 150 प्रश्न होंगे व सभी प्रश्न समान अंक के होंगे।
2. मूल्यांकन में ऋणात्मक अंकन किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काटे जाएंगे।

WhatsApp channel

राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परम्परा एवं विरासत

- राजस्थान के प्रागैतिहासिक स्थल – पुरापाषाण काल से लेकर ताम्रपाषाण काल तक और कांस्य युग, प्राचीन राजस्थान का समाज और संस्कृति
- राजस्थान इतिहास के स्रोतः पुरातात्विक, अभिलेखीय, साहित्यिक और मुद्राशास्त्रीय
- राजस्थान के मुख्य राजवंशों के प्रमुख शासकों की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियाँ, केंद्रीय सत्ता के साथ सहयोग एवं प्रतिरोध, मध्यकालीन राजस्थान में प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था
- 18वीं–19वीं शताब्दी में राजनीतिक और सामाजिक स्थिति, 20वीं शताब्दी में किसान और आदिवासी आंदोलन, प्रजा मंडल आंदोलन और जन जागृति, राजस्थान का एकीकरण
- राजस्थान की स्थापत्य परंपराएँ – मंदिर, किले, महल, स्मारक,मानव निर्मित जलाशय, चित्रकला और हस्तशिल्प की विभिन्न शैलियाँः प्रदर्शन कलाएँः लोक नृत्य और नाटक, संगीत (शास्त्रीय और लोक) और वाद्ययंत्र
- भाषा एवं साहित्यः राजस्थानी भाषा की बोलियाँ, राजस्थानी भाषा का साहित्य और लोक साहित्य, धार्मिक जीवनः राजस्थान में धार्मिक समुदाय, संत और संप्रदाय, राजस्थान के लोक देवता और धार्मिक प्रथाएँ
- राजस्थान में सामाजिक जीवनः मेले और त्यौहार; सामाजिक रीति–रिवाज और परंपराएँ, वेशभूषा और आभूषण
- राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व

भारत का इतिहास

प्राचीनकाल एवं मध्यकाल :–

- भारत के सांस्कृतिक आधार – सिंधु और वैदिक युगः छठी शताब्दी ईसा पूर्व के धार्मिक विचार – आजीवक, बौद्ध और जैन धर्म।
- मुख्य राजवंशों के प्रमुख शासकों की उपलब्धियाँः मौर्य, कुषाण, सातवाहन, गुप्त, चालुक्य, पल्लव और चोल।
- प्राचीन भारत में कला एवं स्थापत्य कला एवं वैज्ञानिक विकास
- भारतीय ज्ञान एवं मूल्य व्यवस्थाः वर्णाश्रम, पुरुषार्थ, संस्कार, दर्शन एवं शिक्षा व्यवस्था।
- सल्तनत कालः प्रमुख राजवंशों की उपलब्धियाँ, विजयनगर साम्राज्य की राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियाँ।
- मुगल कालः प्रशासन एवं विभिन्न नीतियांः मराठा
- मध्यकाल में कला एवं वास्तुकला, साहित्य, चित्रकला और संगीत का विकास।
- धार्मिक आंदोलन और भक्ति एवं सूफी आंदोलन का योगदान।

आधुनिक काल (प्रारम्भिक 19वीं शताब्दी से 2000 तक) :–

- ब्रिटिश साम्राज्यवाद और प्रतिरोध – मराठा, मैसूर, सिख।
  1857 का विद्रोह।
  ब्रिटिश राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक नीतियाँ। राष्ट्रवाद का उदय, सामाजिक–धार्मिक आंदोलन।
- स्वतंत्रता संग्राम और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन– विकास, चरण और प्रमुख घटनाएँ। क्रांतिकारी और विभिन्न क्षेत्रीय आंदोलन। स्वतंत्रता और विभाजन की ओर।
- स्वातंत्रोत्तर राष्ट्र निर्माण (2000 तक), राज्य पुनर्गठन, नेहरू युग में सांस्थानिक निर्माण, योजना एवं आर्थिक सुधार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास

विश्व एवं भारत का भूगोल

विश्व का भूगोल :–

- भौतिक स्वरूपः– पर्वत, पठार, मैदान एवं मरूस्थल
- प्रमुख नदियाँ एवं झीलें
- प्राकृतिक वनस्पति
- कृषि : प्रकार, वितरण तथा प्रमुख फसलें
- प्रमुख औद्योगिक प्रदेश तथा प्रमुख उद्योग
- परिवहन तन्त्र
- पर्यावरणीय मुद्दे – मरूस्थलीकरण, वनोन्मूलन, जलवायु परिवर्तन एवं ग्लोबल वार्मिंग (वैश्विक तापन), ओजन अवक्षय

भारत का भूगोलः–

- भौतिक विभाग
- जलवायु
- प्रमुख नदियाँ एवं झीलें
- सिंचाई
- कृषि : प्रमुख फसलें
- खनिजः धात्विक और अधात्विक
- प्रमुख औद्योगिक प्रदेश तथा प्रमुख उद्योग

राजस्थान का भूगोल

- राजस्थानः– अवस्थिति, विस्तार तथा भौतिक विभाग
- नदियाँ एवं झीलें
- जलवायु की विशेषताएं
- प्राकृतिक वनस्पति, जैव विविधता तथा संरक्षण
- मृदा
- कृषि
- पशुधन
- सिंचाई
- जनसंख्या– वृद्धि, घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात
- नगरीकरण
- जनजातियाँ
- खनिज– धात्विक एवं अधात्विक
- पर्यटन

भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था और शासन

- संविधान का निर्माण, उद्देशिका, नागरिकता, मौलिक अधिकार, राज्य की नीति के निदेशक तत्व और मौलिक कर्तव्य
- संघीय सरकार– कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका
- संघ राज्य संबंध, आपातकालीन प्रावधान
- शहरी और ग्रामीण स्थानीय सरकार
- निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और नीति आयोग
- लोक नीति, नागरिक चार्टर, सामाजिक अंकेक्षण और शिकायत निवारण प्रणाली
- लोकपाल, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग

राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था
• राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, राजस्थान विधान सभा, राजस्थान उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय एवं अन्य न्यायिक निकाय, महाधिवक्ता • मुख्य सचिव, राज्य सचिवालय, विभिन्न विभागों के निदेशालय, संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर / जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, उप–खण्ड अधिकारी, तहसीलदार • राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान सूचना आयोग, राजस्थान राज्य महिला आयोग, राजस्व मंडल, लोकायुक्त • राजस्थान में पंचायती राज एवं नगर पालिकाओं का प्रशासन
आर्थिक अवधारणाएँ एवं भारतीय अर्थव्यवस्था
• आर्थिक संवृद्धि और विकास। पर्यावरण क्षरण और सतत् विकास। • विकास के मापक– पारंपरिक माप, मानव विकास सूचकांक और अन्य संबंधित सूचकांक। • आर्थिक विकास में मौद्रिक और राजकोषीय नीति की भूमिका। भारत सरकार का नवीनतम बजट और संसाधन संग्रहण। • राजकोषीय संघवाद– केन्द्र– राज्य वित्तीय संबंध और वित्त आयोग। • कृषिगत विकास– संस्थागत और तकनीकी पहलू। भारतीय कृषि में सुधार–चुनौतियां और सरकारी पहल। • औद्योगिक वृद्धि, स्वरूप, नीति और औद्योगिक सुधार– उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। • आर्थिक वृद्धि में सेवा क्षेत्र की भूमिका– चुनौतियां और अवसर। ऊर्जा, परिवहन और संचार। • कौशल विकास और रोजगार संवर्द्धन– कार्यक्रम और नीतियां। सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण
राजस्थान की अर्थव्यवस्था
• अर्थव्यवस्था का वृहत् परिदृश्य और राज्य बजट। • कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र की मौजूदा स्थिति, मुद्दे और सरकारी पहल। • आधारभूत संरचना का विकासः ऊर्जा, परिवहन और संचार। • ग्रामीण विकास, पंचायती राज और राज्य वित्त आयोग। • मूलभूत सामाजिक सेवाएं– शिक्षा और स्वास्थ्य। • राजस्थान सरकार की मुख्य कल्याणकारी योजनाएं।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
• दैनिक जीवन में विज्ञान के मूलभूत तत्व। • कम्प्यूटर्स; सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। • रक्षा एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी भारत के विशेष संदर्भ में। • वंशागति एवं विभिन्नता; अनुवांशिक–अभियांत्रिकी; जैव–प्रौद्योगिकी एवं नैनो–प्रौद्योगिकी। • मानव स्वास्थ्य देखभाल; आहार एवं पोषण; रोग एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम। • पर्यावरणीय तथा पारिस्थितिकीय परिवर्तन एवं उनका प्रभाव मूल्यांकन। • जैव–विविधता; प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एवं संतत् विकास। • राजस्थान के विशेष संदर्भ में कृषि–विज्ञान, उद्यान–विज्ञान, वानिकी एवं पशुपालन। • राजस्थान तथा भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रमुख सरकारी कार्यक्रम एवं नीतियां। • अभिनव वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी प्रगति; विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों का योगदान; विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण।

तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता
तार्किक दक्षता (निगमनात्मक, आगमनात्मक, अपवर्तनात्मक):– • कथन एवं मान्यताएं • कथन एवं तर्क • कथन एवं निष्कर्ष • कथन–कार्यवाही • विश्लेषणात्मक तर्कक्षमता/विवेचनात्मक तर्कक्षमता **मानसिक योग्यता :–** • संख्या/ अक्षर अनुक्रम • कूटवाचन (कोडिंग–डीकोडिंग) • संबंधों से संबंधित समस्याएं • दिशा ज्ञान परीक्षण • तार्किक वेन आरेख • रैंकिंग एवं बैठक व्यवस्था • आकार और उनके उपविभाजन **आधारभूत संख्यात्मक दक्षता :–** • अनुपात–समानुपात तथा साझा, लाभ एवं हानि • प्रतिशत • साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज • समतलीय चित्रों के परिमाप एवं क्षेत्र • आंकडों का विश्लेषण (सारणी, दण्ड–आरेख, रेखीय आलेख, पाई–चार्ट) • माध्य (समांतर, गुणोत्तर एवं हरात्मक), माध्यिका एवं बहुलक • क्रमचय एवं संचय • प्रायिकता (सरल समस्याएं)
समसामयिक घटनाएँ एवं मुद्दे (राजस्थान के विशेष संदर्भ में)
• महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, स्थान और प्रासंगिक समकालीन मुद्दे • कल्याण और विकास से संबंधित नई योजनाएँ, कार्यक्रम और पहल • प्रमुख आर्थिक और राजनीतिक घटनाक्रम • खेल और क्रीड़ा से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएँ एवं उपलब्धियाँ • प्रमुख पुरस्कार, प्रकाशन और प्रतिष्ठित लेखक • राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022

अजमेर

दिनांक 09.01.2026

मुख्य परीक्षा नियंत्रक